



उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या: 2823-पारोअनु०-16/पाद्राकालि-2017

दिनांक: 28 जुलाई, 2017

कार्यालय ज्ञाप

अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिकी) के पद से मुख्य अभियन्ता (स्तर-11) के पद पर हुई प्रोन्नति एवं प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत निम्नांकित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) व मुख्य अभियन्ता (स्तर-11) के अधिकारियों को स्तम्भ संख्या-3 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से स्तम्भ संख्या-4 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम/अभि० सं०/गृह जनपद/सेवानिवृत्ति का दिनांक सर्वश्री	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	प्रोन्नति/स्थानान्तरण के उपरान्त तैनाती का कार्यालय/स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	शैलेन्द्र कुमार/86091/ बुलन्दशहर/31.10.2019	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत पारेषण मण्डल, नोएडा।	मुख्य अभियन्ता, पारेषण दक्षिण-मध्य, झाँसी (नवसृजित)। (मुख्य अभियन्ता, स्तर-11 के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप)
2.	आलोक कुमार अग्रवाल /86067/मुजफ्फरनगर/ 29.02.2020	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत पारेषण मण्डल, शाहजहाँपुर।	मुख्य अभियन्ता (सम्बद्ध), निदेशक (का०प्रब० एवं प्रशा०), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन (मुख्यालय), लखनऊ। (मुख्य अभियन्ता, स्तर-11 के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप)
3.	श्री अशोक सक्सेना/ 81183/फर्रुखाबाद/ 30.09.2017	मुख्य अभियन्ता (स्तर-11), पारेषण दक्षिण, आगरा।	मुख्य अभियन्ता, पारेषण दक्षिण-पश्चिम, आगरा (नवसृजित)। (अन्यत्र स्वीकृत पद के विरुद्ध)
4.	अजय चौहान/84013/ सहारनपुर/31.05.2019	मुख्य अभियन्ता (स्तर-1), एस०एल०डी०सी०, गोमतीनगर, लखनऊ।	श्री अशोक सक्सेना की दिनांक 30.09.2017 को सेवानिवृत्ति के उपरान्त श्री अजय चौहान, मुख्य अभियन्ता, पारेषण दक्षिण-पश्चिम, आगरा का कार्यभार ग्रहण करेंगे। उक्त पद का नियमित कार्यभार ग्रहण करने तक की अवधि में वे निदेशक (आपरेशन) से सम्बद्ध रहते हुए, पारेषण दक्षिण-पश्चिम, आगरा में तैनात रहेंगे।

- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.3.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।
- उपरोक्त क्रमांक 3 व 4 पर उल्लिखित तैनाती उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के कार्यालय ज्ञाप संख्या-73, दिनांक 18.07.2017 द्वारा किये गये आवंटन के फलस्वरूप की गयी है।
- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि(06)-2001 दिनांक 11.06.2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतीकरण कर दिया गया है।
- उपरोक्त स्थानान्तरित अधिकारी को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

2/.....

सं: 2823(1) पारेअनु-18/पाद्राकालि-2017 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मा0 ऊर्जा मंत्री/मा0 ऊर्जा राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश के निजी सचिव।
2. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0द्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0पा0द्रा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार/शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता, पारेषण क्षेत्र, उ0प्र0पा0द्रा0का0लि0।
8. अपर सचिव-द्वितीय, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
9. संयुक्त सचिव (अ0प्र0-01), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
10. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
11. उप सचिव (गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
- ✓ 12. अधिशासी अभियन्ता सम्बद्ध निदेशक (आपरेशन) को वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।
13. सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली।

आज्ञा से,

(ए0क0 श्रीवास्तव)
उप सचिव (पारेषण)